[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. **23**/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **11** जून, 2019

सा.का.नि. ....(अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पॉली विनाइल क्लोराइड (रेसिन) सस्पेंशन ग्रेड" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जून, 2014, जिसे सा.का.नि. 405 (अ), दिनांक 13 जून, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जो कि चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड (रेसिन) सस्पेंशन ग्रेड' के आयात से संबंधित है, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/14/2018-डीजीटीआर, दिनांक 29 अक्तूबर, 2018, जिसे दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और इस प्रतिपाटन शुल्क को उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस समीक्षा के विचाराधीन रहने के कारण इसको दो माह और अर्थात 12 अगस्त, 2019 तक बढ़ाने के लिए सिफारिश की है ;

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जून, 2014, जिसे सा.का.नि. 405 (अ), दिनांक 13 जून, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा :-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट क्र.सं 4, 11 से 28 तथा 32 से 34 में आयात होने वाले विषयगत माल पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क, 12 अगस्त, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगा, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो”

(फाइल संख्या 354/70/2007-टीआरयू (पार्ट. ।।))

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार